

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन
डिक्री

दिनांक :- 09/4/26

वादी की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, श्री अनिल सिहाग प्रतिवादी सं. 2, 1/1 ता 1/3 श्री सोहन लाला सुथार प्रतिवादी संख्या 31,32, 33,34 श्री संजीव आहुजा प्रतिवादी सं. 33/1 ता 33/3, 39 श्री हरमनदीप सिंह प्रतिवादी संख्या 21 श्री जगराज सिंह भारी प्रतिवादी सं 19 व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

(क) वादी को प्राप्त भूमि:- तहसील पीलीबंगा का चक 17 पी बी एन का प.न. 16/325 मु.न. 85 कि.न. 7/0.2360, 8,9, 10/1/0.2150,10/2/0.0380 रास्ता, 11/1/0.2150, 11/2/0.0380 रास्ता, 12 ता 19, 20/1/0.2150, 20/2/0.0380 रास्ता, 21/1/0.2150, 21/2/0.0380 रास्ता, 22 ता 25, व प.न. 17/325 मु.न. 86 कि.न. 11, 12, 19/1/0.0740, 19/2/0.0520, 20, 21/1/0.1510, 21/2/0.0130, की कुल 5.8390 है.नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि का वादी जोरासिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख साकिन डींगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को खातेदार काश्तकार घोषित किया

9

जाता है रकमराज अलग कायम की जावे उक्त रकबा में से गुरचरण सिंह, सतनाम सिंह, कुलदीप सिंह उर्फ कुलविन्द्र सिंह व सीतादेवी, मुख्त्यार सिंह, आपल, छमन उर्फ खजू, लालचन्द, चन्दकौर, बलविन्द्र सिंह हनुमान का नाम कलमजन के आदेश पारित किये जाते हैं।

(ख) प्रतिवादी न. 1/1, 1/2, 1/3 को प्राप्त भूमि :-तहसील पीलीबंगा का चक 17 पी बी एन का प.न. 17/325 मु.न. 86 कि.न.1/0.228 (0.025 रास्ता), 2/0.228(0.025 रास्ता), 3/0.228 (0.025 रास्ता), 4/0.127 (0.025 रास्ता) व प.न. 16/324 मु.न. 84 कि.न. 25/0.228 (0.025 खाला) व प.न. 17/324 मु.न. 83 कि.न. 19/0.140, 20, 21, 22/0.140 की कुल 1.9500 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि खाता विमान में प्रतिवादी न. 1/1, 1/2, 1/3 यानि कर्मजीतकौर पत्नि स्व: गुरचरणसिंह, गगनदीप पुत्र गुरचरणसिंह, मनदीपकौर पुत्री गुरचरणसिंह जाति जटसिख साकिन डींगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को ब. हिस्सा बराबर बराबर के खातेदार घोषणा की जाती है रकम राज अलग कायम की जावे उक्त रकबा में सतनाम सिंह, कुलदीप सिंह, जोरा सिंह, गुरचरण सिंह, रूलिया सिंह, जाटासिंह के नाम कलमजन किये जाते हैं।

(ग) प्रतिवादी न. 2 को प्राप्त भूमि:-तहसील पीलीबंगा का चक 17 पी बी एन का प.न. 16/325 मु.न. 85 कि.न. 1/1/0.1900, 1/2/0.0630 रास्ता, 2/1/0.0225, 2/2/0.0025 रास्ता, व प.न. 17/324 मु.न. 83 कि.न. 13/1/0.0760, 14/0.2530, 17/0.2530, 18/0.2530, 19/0.1130, 22/0.1130, 23/0.2530, 24/1/0.0760, 24/2/0.1770, 25/1/0.0570, 25/2/0.0570 की कुल 1.9590 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी न. 2 सतनामसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख साकिन डींगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है रकम राज अलग कायम की जावे रकबा में से सीता देवी, मुख्त्यार सिंह, आपल, छमन उर्फ खजू, जोरा सिंह, गुरचरण सिंह, कुलदीप सिंह उर्फ कुलविन्द्र सिंह, चन्द कौर, बलविन्द्र सिंह, हनुमान, जीवनराम, कुलदीप सिंह, सतनाम सिंह, बसन्त कौर, सरजोत कौर, बलवीर सिंह, कुलदीप कौर, छोटो कौर के नाम हटाये जावे व सभिन्द्र पाल सिंह, अंग्रेज सिंह, गुरदेव सिंह, जगपाल सिंह, बलविन्द्र सिंह, अजमेर सिंह, शमशेर सिंह, बलदेव सिंह, प्रीतपाल सिंह, कर्मजीत सिंह, हरगोविन्द सिंह, राजवेन्द्र सिंह के नाम कलमजन के आदेश पारित किया जाता है।

(घ) प्रतिवादी न. 3/1, 3/2 को प्राप्त भूमि :-तहसील पीलीबंगा का चक 17 पी बी एन का प.न. 16/325 मु.न. 85 कि.न. 2/1/0.2055(0.0225 रास्ता), 3/1/0.2280, 3/2/0.025 रास्ता, 4/1/0.2280, 4/2/0.0250 रास्ता, 5/1/0.2280, 5/2/0.0250 रास्ता, 6/0.2530, 7/0.0170, व प.न. 17/325 मु.न. 86 कि.न. 8/0.1900, 9/0.2530, 10/0.2530 की कुल 1.9530 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि के प्रतिवादी न. 3/1, 3/2, यानि परमजीतकौर पत्नि स्व: कुलदीपसिंह उर्फ कुलविन्द्रसिंह, जसदीपसिंह पुत्र कुलदीपसिंह उर्फ कुलविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन डींगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को ब. हिस्सा बराबर के खातेदार कारतकार घोषित किये जाते हैं रकम राज अलग कायम की जावे सीता देवी, मुख्त्यार सिंह, आपल, छमन उर्फ खजू, जोरा सिंह, गुरचरण सिंह, लाल चन्द, सतनाम सिंह, कुलदीप सिंह उर्फ कुलविन्द्र सिंह, चन्द कौर, बलविन्द्र सिंह, हनुमान का नाम कलमजन किया जाता है।

(ङ) प्रतिवादी संख्या 19 को प्राप्त भूमि:-तहसील पीलीबंगा के चक 17 पीबीएन के खाता सं. 68/64 के प.न. 17/325 (86) किला 16/2/.151, 17/2/.151, 18/2/.139.

3

22/.190, 23 ता 25 कुल 1.390 हैक. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे उक्त रकबा में से शीतादेवी, मुखयार सिंह, आपल, छमन उर्फ खजू, जोरा सिंह, गुरचरण सिंह, लालचन्द, रातनाम सिंह, कुलदीप सिंह उर्फ कुलविन्द्र सिंह, चन्द कौर, बलविन्द्र सिंह, हनुमान के नाम के अंकन हटाये जाते है।

(च) प्रतिवादी संख्या 21 को प्राप्त भूमि:—तहसील पीलीबंगा के 17 पी बी एन वर्तमान खाता संख्या 66/58 के प. न. 17/323 (74) के किला नम्बर 1/1/0.190, 1/2/0.038, 1/3,0.025, 10/1/0.127, 12 ता 15/1.012 कुल 1.392 हैकटर नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे।

(छ) प्रतिवादी संख्या 33/1 ता 33/3 को प्राप्त:— वक नम्बर 17 पी बी एन के वर्तमान खाता संख्या 66/58 के प.न. 17/322 मुरवा नम्बर 71 के किला नम्बर 1/0.253,2/0.253,3/0.253,6/0.253,13/1/0.088 कुल 1.100 हैकटर कृषि भूमि का वरिष्ठ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकम राज अलग कायम की जावे। उक्त रकबा में प्रतिवादी संख्या 31,32, 34, 35 का हक्क व हिरसा एवं नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि दम्बर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 9/4/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा